फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

नरसीराम बनाम अंकित आदि

किस्म मुकदमा – 225 आरटीए **नम्बर 14/2023**

जीसीएमएस संख्या 149/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06–02–23	अभिभाषक अपीलांट् श्री करण सिंह तंवर उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। पत्रावली पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13–02–23 को पेश हो।	
13–02–23	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम धरनोक के खेत खसरा नम्बर 1324/865 तादादी 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 1672/922 तादादी 5.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 तादादी 8.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 731 तादादी 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 881 तादादी 19.65 हेक्टर कुल तादादी 34.69 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये कदरतवली संरक्षर नानी छममादेवी पत्नि रूपाराम के माध्यम से वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील दिनांक 05–01–2023 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, नाही वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नाबालिग है, तथा जिनका पति रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जिवित है, ऐसी स्थिति में उनके पिता के जिन्दा रहते हुए अन्य व्यक्ति कुदरतीवली नहीं बन सकता। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कंतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 पाबूराम पुर हरू के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के जीवऩकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उनके पक्ष में नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। आदेश जैर अपील से अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है तथा यदि आदेश जैर अपील की आड़ में अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। लिहाजा अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–01–2023 की पालना स्थगित रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2014 पार्ट I पेज 35 व डीएनजे 2021 पार्ट II पेज 1169 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम धरनोक के खेत खसरा नम्बर 1324/865 तादादी 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 1672/922 तादादी 5.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 तादादी 8.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 731 तादादी 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 881 तादादी 19.65 हेक्टर कुल तादादी 34.69 हेक्टर भूमि के बाबत् दिनांक 05–01–203 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–01–2023 की पालना स्थगित किये जाने की इस्तदुआ की गई है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित आते हुए व बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निस्तारण करवाये जाने के स्थान पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित कराने की चेष्टा की गई है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। अपीलांट् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।